

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-84 / 2023

रामजीलाल मीणा (कर्मचारी आई.डी.- आरजेएसके202233033222)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.01.2023

आदेश की दिनांक : 09.01.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में कार्यरत है। उनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा कार्यालय एसीएम(सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट) बस्सी जिला जयपुर में किया गया है। आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक-1) में यह शर्त लगाई गई है, जो निम्न प्रकार है :- "उपरोक्त कार्मिकों में से यदि कोई निलंबित/परिवीक्षाकाल में हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे व उक्त आदेश निरस्त समक्षा जावें।" उक्त शर्त के कारण अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है और इस कारण से अपीलार्थी ने हस्तगत अपील दायर की है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7(30) में परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“परिवीक्षाधीन – परिवीक्षाधीन से तात्पर्य यह है कि उस कर्मचारी से है जो किसी सेवा अथवा संवर्ग (कैडर) में स्थाई रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है।”

परिवीक्षाधीन कर्मचारी की उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सभी परियोजनार्थ सम्बन्धित सेवा का सदस्य है। परिवीक्षाधीन अवधि में एक परिवीक्षाधीन कार्मिक अन्य कार्मिकों की भांति कार्य सम्पादित करता है और उसका स्थानान्तरण भी सेवा के अन्य सदस्यों की भांति किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन कार्मिकों की कोई पृथक सेवा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में उससे अलग प्रकार का व्यवहार करना या भेदभाव करना युक्तियुक्त व नियमानुकूल नहीं है। अतः आलोच्य स्थानान्तरण आदेश (अनुलग्नक-1) में जो शर्त जोड़ी गई है कि सम्बन्धित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उसको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, सेवा नियमों के सर्वथा विपरीत होने के कारण अपने आप में अवैध एवं अनुचित है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक-1) में उल्लेखित शर्त अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि माननीय अधिकरण ने तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेक अपीलों एवं रिट याचिकाओं में यह अभिनिर्धारित किया है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का नियमानुसार स्थानान्तरण किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कर्मचारी सेवा नियमों के तहत चयनित, नियमित कार्मिक होता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए आलोच्य आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के प्रतिकूल होने के कारण आलोच्य आदेश में उल्लेखित शर्त अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त किए जाने योग्य है। पूर्व में इस अधिकरण द्वारा श्रीमती आशा वर्मा द्वारा दायर अपील संख्या 2390/2018 एवं अपील संख्या 3021/2018 श्री जयकुमार त्रिवेदी बनाम प्रारम्भिक शिक्षा एवं अपील संख्या 2515/2019 राजेन्द्र कुमार बनाम संभागीय आयुक्त, बीकानेर में परिवीक्षाधीन अवधि में जारी स्थानान्तरण आदेशों में सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करने के सम्बन्ध में जोड़ी गई शर्त को अवैध एवं अनुचित मानते हुए अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किए थे। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी को अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.09.2022

- (अनुलग्नक-1) में उल्लेखित शर्त को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त कर उसे कार्यमुक्त करने एवं कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाएं।
4. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना गया, बहस में उन्होंने अपील के आधारों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
 5. आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय एसीएम(सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट) बस्सी जिला जयपुर किया गया है, परन्तु आलोच्य आदेश में सेवा नियमों के विरुद्ध यह शर्त जोड़ी गई है कि सम्बन्धित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उसे प्रभावी नहीं करते हुये आदेश जारी किये है, जिसके कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण होने के बावजूद उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर परिवीक्षाधीन (Probationer) है। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7(30) में वर्णित परिवीक्षाधीन कार्मिक की पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार अपीलार्थी सभी प्रयोजनार्थ सेवा का सदस्य है। परिवीक्षाधीन अवधि में एक कार्मिक अन्य कार्मिकों की भांति कार्य सम्पादित करता है और उसका स्थानान्तरण सेवा भी सेवा के अन्य सदस्यों की भांति किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन कार्मिक की कोई पृथक सेवा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में उससे कोई अलग प्रकार का व्यवहार करना या विभेद करना युक्तियुक्त एवं नियमानुकूल नहीं है।
 6. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक-1) शर्त को अपीलार्थी की सीमा तक एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
 7. उपरोक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)